संख्याः 669 /XI/18/56(16)2016

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 16 मार्च, 2018

विषयः–प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)(पूर्व में इन्दिरा आवास योजना)/राज्य आवासीय योजना के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना–2011 (SECC-2011) के आधार पर पात्र आवासविहीन, भूमिहीन परिवारों के आवास निर्माणार्थ भूमि क्रय करने पर भूमि की रजिस्ट्री पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क (रजिस्ट्री शुल्क) में शत–प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि केन्द्र पोषित एवं राज्य पोषित आवासीय योजना के अन्तर्गत कतिपय पात्र लाभार्थियों के पास आवास निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होती है। सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना–2011 (SECC-2011) के आधार पर पात्र भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि की रजिस्ट्री शुल्क/स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान कर सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

अतः इस संबंध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)(पूर्व में इन्दिरा आवास योजना)/राज्य आवासीय योजना के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना–2011 (SECC-2011) के आधार पर पात्र भूमिहीन लाभार्थी, जिनकी जनपदवार सं0–2583 है, को आवास निर्माणार्थ भूमि क्रय करने पर भूमि की रजिस्ट्री पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क (रजिस्ट्री शुल्क) में शत–प्रतिशत छूट निम्न शर्तो के अनुसार प्रदान की जाती है–

1. भूमिहीन परिवारों को न्यूनतम 60 वर्ग मीटर, अधिकतम 100 वर्ग मीटर भूमि पर स्टाम्प शुल्क/रजिस्ट्री शुल्क से मुक्त रखा जाना प्रस्तावित है। न्यूनतम भूमि इस प्रकार होगी कि 25 वर्ग मीटर भूमि पर कमरा तथा किचन निर्माण तथा शेष भूमि पर शौचालय एवं अन्य आवासीय सुविधा विकसित की जा सके।
2. भूमि एवं भूमिहीन की परिभाषा वही होगी, जो राज्य सरकार द्वारा अभिप्रेत है। भूमि सुरक्षित स्थान पर हो, जहॉ भूस्खलन, बाढ़ अथवा नदी, गदेरों आदि से हानि पहुंचने की सम्भावना न हो। सड़क, विद्युत, पेयजल की उपलब्धता हो तथा सामुदायिक संकल्पना के रूप में लाभार्थी द्वारा क्लस्टर के रूप में आवासों का निर्माण किया जा सके।
3. भूमि एवं भूमिहीन का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक चयन समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, संबंधित उप जिलाधिकारी, संबंधित खण्ड विकास अधिकारी तथा संबंधित तहसीलदार सदस्य होंगे।
4. उक्त नीति में कोई भी परिवर्तन, परिवर्धन एवं शिथिलीकरण तथा नीति की व्याख्या आदि का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–93/XXVII–9–1/वित्त–9/2018 दिनांक 28फरवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः /XI/2018/56(16)2016 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, (ए एण्ड ई), महालेखाकार भवन कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल,उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड
9. गोपन अनुभाग उत्तराखण्ड शासन को उनके अ0शा0 पत्रांक संख्या–4/2/XVII/XXI/2017–सी0एक्स0, दिनांक 16.11.2017 के क्रम में।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव।